

## प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज दिनांक—अप्रैल 22, 2019

- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग—  
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **02 वाहनों** को सीच किया गया तथा **94 वाहनों** से **मु0-11200** /—रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।
- शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—  
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल-12 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी** में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।
- अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—  
पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-07 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 90 लीटर कच्ची शराब व 1320 शीशी नेपाली शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—
- थाना—कोतवाली द्वारा की गयी कार्यवाही—अभियुक्त बैजनाथ गुपता पुत्र पिताम्बर साकिन सिसवा राजा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-313/2019, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना—फरेन्दा द्वारा की गयी कार्यवाही—1.अभियुक्त अवधेश पुत्र डीगीचन्द केवट, 2.मनीष पुत्र लालू साहनी, 3.मुन्ना पुत्र मोहन, 4.सदानन्द पुत्र ब्रम्हानन्द नि0गण भारी वैसी नर्सरी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 80 लीटर कच्ची शराब व 10 पतेला व शराब बनाने के अन्य उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-128/2019, धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना—ठूठीबारी द्वारा की गयी कार्यवाही—अभियुक्त प्रमोद कुमा पुत्र जवाहिर साकिन मैरी थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 1260 शीशी नेपाली शराब बरामद कर

मु0अ0सं0-83/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

- थाना-सोनौली द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त कुद्दूस अली पुत्र अकबर साकिन विरता बाजार न0पा0 देवदा थाना धकधई जनपद रुपनदेही नेपाल के कब्जे से 60 शीशी नेपाली शराब बरामद कर मु0अ0सं0-72/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत थाना सोनौली से अभियुक्त- विज्ञान गुरुंग पुत्र मेघायल साकिन हरदिया चापा थाना वार्ड नं0 5 थाना सोनवल जनपद नवलपरासी नेपाल कब्जे से 01 अदद हाफ ब्लेड का टुकड़ा बरामद कर मु0अ0सं0-निल/2019, धारा-41/109 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के द्वारा वांछित व गैर जमानतीय वारन्टीयों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस द्वारा **वांछित-05** अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रेषित किया गया।
- विवेचनाओं का निस्तारण-पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल-05** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 21/22.04.2019 को विभिन्न अपराधों में कुल-24 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।